बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

पत्र सं0 – वि.प्रा.अ.स. – 1/93/ 2013 /पटना, दिनांक –15. 1. 93

प्रेषक,

श्री अतुल प्रसाद,
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,

सेवा में,

प्राचार्य,
नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13

विषयः– आन्तरिक वित्तीय संसाधन सृजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–301 दिनांक 20.4.93 के संबंध में कहना है कि प्रयोगिक तौर पर आन्तरिक वित्तीय संसाधन सृजन तथा उसका उपयोग संस्थान के हित में करने के उद्देश्य से एक वर्ष के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन निम्नलिखित शर्तों पर करने की अस्थायी स्वीकृति दी जाती है–

(क) नामांकन संलग्न मानक के मुताबिक विन्दुओं के कुल योग के आधार पर होागा।
(ख) नामांकन में आरक्षण का आधार सरकार द्वारा एतसंबंधी नियमों के अनुसार रहेगा।
(ग) प्रशिक्षण डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा प्रचालित (प्रति संलग्न) पाठ्यक्रम के अनुसार होगा।
(घ) नामांकन की मौलिक योग्यता 10 + 2 उत्तीर्ण होगी।
(च) इस पाठ्यक्रम की अवधि छः–छः माह की होगी।
(छ) प्रशिक्षण शुल्क प्रति छात्र प्रति पाठ्यक्रम रू. 2,700/– होगा।
(ज) उक्त पाठ्यक्रम से सृजित संसाधन का उपयोग बिहार वित्तीय नियमावी के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,

ज्ञापांक – 2013 /पटना, दिनांक – 7. 7. 93

प्रतिलिपि – सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/सभी अभियंत्रण महाविद्यालय यदि वे भी चाहें तो उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम चला सकते हैं।

ह०/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक